

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

E-mail : caodlb@gmail.com

Fax - 0141 - 2223074/2222403

क्रमांक : पीए/एफए/डीएलबी/2020/कोविड-19/488/838

दिनांक: 23/03/2022

:: राशि हस्तान्तरण स्वीकृति ::

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा नवगठित नगरपालिका सुल्तानपुर (कोटा) को मास्क वितरण एवं कोविड-19 की रोकथाम के कार्य हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियों के अनुसार राशि हस्तान्तरण करने के आदेश जारी किये गये थे:-

क्र.सं.	स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	राशि
1	पीए/एफए/डीएलबी/2020/कोविड-2019/1790 दिनांक 27.04.2021 (स्वीकृति की प्रति संलग्न)	1.50 लाख
2	पीए/एफए/डीएलबी/2020/कोविड-2019/2201 दिनांक 18.05.2021 (स्वीकृति की प्रति संलग्न)	3.15 लाख
	योग	4.65 लाख

परन्तु उक्त राशि विगत में तकनिकी खामी के कारण नगरपालिका, सुल्तानपुर के बैंक खाते में हस्तान्तरण नहीं होने एवं राशि को वापस निदेशालय की लेखा पुस्तकों में जमा कर लिए जाने के कारण पुनः विभाग के बैंक खाता संख्या 14630100012204 में से राशि रुपये 4.65 लाख नवगठित नगरपालिका सुल्तानपुर के बैंक ऑफ बडोदा के बैंक खाता संख्या 37470100000704, IFSC Code BARB0SULKOT में राशि हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त राशि का नियमानुसार उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(हर्देश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : पीए/एफए/डीएलबी/2020/कोविड-19/488/839-847

दिनांक: 23/03/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सुल्तानपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त राशि का अपने बैंक खाते में हस्तान्तरण कराते हुए प्रचलित वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए यह राशि का उपयोग संलग्न स्वीकृतियों के अनुसार ही किया जावे जिसके लिए राशि जारी की गई है। साथ ही जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करावें।
07. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्तानुसार राशि नगर पालिका सुल्तानपुर के बैंक खातों में हस्तान्तरण करवाये जाने की सुनिश्चिता करें।
08. संयुक्त निदेशक व सिस्टम एनलिस्ट, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(महेन्द्र मोहन)

वित्तीय सलाहकार

Png